



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102025-266979
CG-DL-E-17102025-266979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4580]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 4580]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4709(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] को उसके सभी गुटों, शाखाओं और फ्रंट संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री नेलसोन साइलो की अध्यक्षता में “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/02/2025-एनई. V]

नीरज कुमार बनसोड, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2025

S.O. 4709(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri Justice Nelson Sailo, Judge of the Gauhati High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN (K)] with all its factions, wings and front organisations as Unlawful Association.

[F. No.11011/02/2025-NE.V]

NIRAJ KUMAR BANSOD, Jt. Secy.